सम्पदा कार्यालय
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
रूड़की

विषयः– सामुदायिक केन्द्र के आवंटन हेतु आवेदन–पत्र।

कर्मचारी सं0/नामांकन सं0/छात्र/पूर्व छात्र सं0 ....

1. कर्मचारी/छात्र/पूर्व छात्र का नाम ....
2. पद एवं विभाग..
3. कर्मचारी का पता..
4. उस व्यक्ति का नाम जिसकी शादी/अन्य उत्सव हो रहा हैं। ....
(उपरोक्त क्रम सं0 1 व 3 के व्यक्ति की स्वास्थ्य चिकित्सा पुस्तिका की फोटो प्रति संलग्न करें)
5. आवंटन अवधि (अधिकतम दो दिन) दिनांक ....(8.00 प्रातः/सायं) से ....(8.00 प्रातः/सायं) तक

1. संस्थान के नियमित कर्मचारियों द्वारा सामुदायिक केन्द्र के आवंटन की पात्रता, शर्तें एवं लाईसेंस शुल्क निम्न प्रकार है–

(क) कर्मचारी स्वयं, बेटा, बेटी के समारोह हेतु (बेटा/बेटी होने का प्रमाण पत्र हेतु स्वास्थ्य चिकित्सा पुस्तिका संलग्न करना अनिवार्य है) छात्रों की स्वंय की शादी हेतु (शादी की तिथि को छात्र होना अनिवार्य है) — रू0 15,000/– प्रतिदिन

(ख) **कर्मचारी के आश्रित, बहन, भाई, के समारोह हेतु**
(जिनकी वैद्य चिकित्सा पुस्तिका हो) — रू0 15,000/– प्रतिदिन

(ग) सेवानिवृत्त कर्मचारी, के बेटा, बेटी के समारोह हेतु — रू0 15,000/– प्रतिदिन
(केवल दो माह पूर्व) (सेवानिवृत्त कर्मचारी का बेटा/बेटी होने का प्रमाण–पत्र हेतु स्वास्थ्य चिकित्सा पुस्तिका संलग्न करना अनिवार्य है)

(घ) सी.सी.बी. वाई एवं जैड पूल संविदा स्टाफ तथा रिसर्च स्कीम के अर्न्तगत प्रोजेक्ट/सैन्टर स्टाफ की स्वंय, बेटा, बेटी के समारोह हेतु — रू0 15,000/– प्रतिदिन
(केवल एक माह पूर्व) कर्मचारी का बेटा/बेटी होने का प्रमाण–पत्र हेतु स्वास्थ्य चिकित्सा पुस्तिका संलग्न करना अनिवार्य है)

2. छात्रों की स्वंय की शादी हेतु (शादी की तिथि को छात्र होना अनिवार्य है) — रू0 15,000/– प्रतिदिन

3. एलूम्नी स्वंय बेटा, बेटी के समारोह हेतु — रू0 50,000/– प्रतिदिन
(केवल एक माह पूर्व) एलूमनी सदस्य का बेटा/बेटी होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

4. धरोहर धनराशिः–
क्रम सं0 1. (क)या(ख)या(ग)या(घ)एवं(2)हेतु — रू0 15,000.00 प्रति आवंटन
(3) हेतु — रू0 50,000.00 प्रति आवंटन

(क) अस्थाई आवंटन आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त श्रेणी के अनुसार आवेदक को धरोहर राशि एवं लाईसेंस शुल्क लेखा अनुभाग मे जमा कराकर मूल रसीद फार्म के साथ संलग्न कर फार्म सम्पदा कार्यालय मे जमा करना होगा।

(ख) जल एवं विद्युत के बिल का भुगतान करने के पश्चात, जमा की गई धरोहर राशि 10 से 15 दिनो मे लेखानुभाग से प्राप्त कर सकते है।

5. सामुदायिक केन्द्र को निश्चित तिथि से 30 दिन पहले तक निरस्त कराने पर आरक्षित अवधि का लाईसेंस शुल्क का 20 प्रतिशत निरस्तिकरण चार्ज देय होगा। 30 दिन से कम समय बचने की स्थिति में लाईसेंस शुल्क वापिस नहीं होगा।

6. सामुदायिक केन्द्र किसी भी प्रार्थी एवं कार्यक्रम हेतु अधिक से अधिक 2 दिन हेतु आवंटित किया जाएगा।

7. सामुदायिक केन्द्र में बैण्ड/लाउडस्पीकर संपूर्ण ध्वनिस्तर केन्द्र सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित किए गए स्तर से अधिक नहीं होगा तथा रात्रि 10.00 बजे के पश्चात बैण्ड/लाउडस्पीकर बारात के साथ बजाना सख्त मना है। बारात समूह में पटाखें चलाना एवं शस्त्र फायर करना भी पूर्णतः वर्जित है। इन शर्तो का उल्लंघन की दशा में, सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। यदि आवंटन, संस्थान कर्मचारी/छात्र द्वारा कराया गया है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं अन्य के द्वारा भविष्य मे संस्थान मे किसी भी प्रकार का आवंटन/आरक्षण की प्रार्थना पर विचार नही किया जायेगा।

8. सामुदायिक केन्द्र में मंदिरापान करना सख्त मना है। यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी आवंटी ऐसा करता है तथा उसकी शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अलग से की जाएगी।

9. यदि कोई आवंटी आवेदन–पत्र में असत्य प्रविष्टियां कर अन्य किसी व्यक्ति के समारोह हेतु प्रयोग के लिए आवेदन देगा तो उसके द्वारा जमा किया गया उपरोक्त लाईसेंस शुल्क एवं धरोहर राशि को जब्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही अलग से की जाएगी।

10. सामुदायिक केन्द्र का चैक आउट समय प्रातः 8.00 बजे होगा। पहले दिन भी आवंटन है, तो सफाई के पश्चात् 9.00 बजे प्रातः दिया जाएगा।

11. शादी समारोह के लिए अधिक विद्युत लोड के कारण यदि आवश्यक होगा, तो विद्युत कनेक्शन अलग से लेने हेतु समारोह नियमानुसार से 2 दिन पूर्व सहायक अधिशासी अभियंता विद्युत के नाम प्रार्थना–पत्र काटॅले भवन सबस्टेशन पर देय होगा, जिसका व्यय अलग से जमा करना होगा। सामुदायिक केन्द्र के बाहर पी0डब्लू0डी0 की दीवार के साथ डेकोरेशन नहीं की जाएगी तथा डेकोरेशन गेट पर ही की जाएगी। सामुदायिक केन्द्र पर अधिकतम 90 किलोवॉट विद्युत लोड मान्य होगा। जनरेटर केवल सप्लाई जाने पर ही चलाना होगा।

12. समारोह के पश्चात सामुदायिक केन्द्र की सफाई व्यवस्था सहायक अभियंता (सेनिटेशन) की होगी, जिसका व्यय लाईसेंस शुल्क की राशि से किया जाएगा।

13. सामुदायिक केन्द्र के आवंटन हेतु निर्धारित प्रार्थना–पत्र पर संपदा कार्यालय से उपलब्धता की प्रविष्ठि कराकर **उसी दिन** लाईसेंस शुल्क एवं धरोहर राशि संस्थान कोषागार मे जमा करा कर एवं उसकी मूल रसीद आवेदन–पत्र के साथ लगाकर संपदा कार्यालय में जमा करानी होगी। यदि उसी दिन लाईसेंस शुल्क एवं धरोहर रशि जमा नहीं होती है, तो उस आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

14. नियमित कर्मचारियों को धरोहर राशि बिन्दू 4 के अनुसार जमा करनी होगी।

15. संस्थान के किसी कार्यक्रम हेतु सामुदायिक केन्द्र की आवश्यकता होने पर उक्त तिथि में आरक्षित सामुदायिक केन्द्र का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

16. यदि किसी प्रार्थी द्वारा किसी तिथि के लिए सामुदायिक केन्द्र आवंटित कराया जाता है एवं उसके पश्चात उसी तिथि के लिए कोई अन्य प्रार्थी आवेदन करता है, तो उसका आवेदन वापस करने के स्थान पर उस तिथि को उसके नाम पर अस्थाई तौर पर आरक्षित कर लिया जाएगा। इसके पश्चात यदि पहला प्रार्थी इस तिथि को अपना आवंटन निरस्त कराने हेतु आवेदन करता है, तो इस स्थिति में दूसरे प्रार्थी को वरीयता दी जाएगी।

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूं कि मैने संस्थान द्वारा बनाए गए नियमों को, जो फार्म के पीछे लिखे हैं, भली प्रकार पढ़ लिया है एवं मैं उनका पालन करूंगी/करूंगा। यदि मेरे द्वारा पत्र में लिखी गयी शर्तो का पालन नहीं किया गया, तो संस्थान नियमानुसार जो भी कार्यवाही मेरे विरूद्ध करेगा, वह मुझे मान्य होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर...........................
नाम व पदनाम

<u>छात्र/सेवानिवृत्त कर्मचारी/सी.सी.बी/वाई एवं जैड पुल/रिर्सच स्कीम के कर्मचारियो के लिए लागू होगा।</u>

यदि उपरोक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी /सी.सी.बी/वाई एवं जैड पुल/रिर्सच स्कीम के कर्मचारी नियम का उल्लघन करता है तो मै उसकी धरोहर राशि जब्त कराने के लिए सहमत हूँ। इसके पश्चात यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा।

नियमित कर्मचारी/अधिकारी/ए.डी.ओ.एस.डब्लू (भवन एवं मैस)
संकाय सदस्य/प्रधान अन्वेषक की संस्तुति एवं हस्ताक्षर

सहायक कुलसचिव वित्त

सामुदायिक केन्द्र उक्त दिनांक से तक उपलब्ध है, कृपया इसका लाईसेंस शुल्क रू0 व धरोहर राशि रू0 डॉ0/श्री/श्रीमती जमा कराने की कृपा करें।

कार्यालय अधीक्षक के हस्ताक्षर संयुक्त कुलसचिव के हस्ताक्षर

....

सामुदायिक केन्द्र का लाईसेंस शुल्क रू0 रसीद सं0. दिनांक : तथा धरोहर राशि रू0 रसीद सं0. दिनांक : के द्वारा जमा करा दिया है।

कार्यालय की टिप्पणी

सामुदायिक केन्द्र दिनांक (8.00 प्रातः/सायं) से (8.00 प्रातः/सायं) तक उपलब्ध है। डा0/श्री/श्रीमती को उनके समारोह हेतु आवंटित किया जा सकता है।

अवर अभियंता, जोन 'अ' **कार्यालय अधीक्षक (सम्पदा)** **संयुक्त कुलसचिव (सम्पदा)**